झारखण्ड सरकार

विधि विभाग

सत्यमेव जयते

झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022

विषय–सूची

प्रारंभिक

1. सक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ

2. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा–27 में संशोधन

झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 में संशोधन हेतु विधेयक।

भारत गणतंत्र के 73वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो: -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

(1) यह अधिनियम 'झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2022' कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 1 की उप धारा (2) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप होगा।

(3) यह अधिसूचना निर्गत किये जाने की तिथि से प्रभावी होगा।

2. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 27 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं -

(1) मूल अधिनियम की धारा 27 (2) (ख) -

" मूल अधिनियम की धारा 27 (2) (ख) में अंकित शब्द समुह ' चक्रानुक्रम में ' को विलोपित किया जाता है।"

(2) मूल अधिनियम की धारा 27 (2) (ग) -

" मूल अधिनियम की धारा 27 (2) (ग) में अंकित शब्द समुह ' चक्रानुक्रम में ' को विलोपित किया जाता है।"

(3) मूल अधिनियम की धारा 27 (2) (च) के स्पष्टीकरण -

" मूल अधिनियम की धारा 27 (2) (च) के स्पष्टीकरण में अंकित शब्द समुहों ' अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति तथा ' को विलोपित किया जाता है।"

उद्देश्य एवं हेतु

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा–27 (2) में अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़ें वर्गों के लिए चक्रानुक्रम सिद्धान्त संबंधी प्रावधान के आधार पर महापौर/अध्यक्ष पद का आरक्षण के पश्चात विभिन्न स्थानीय नगर निकायों में उन आरक्षित पदों के आवंटन में विसंगति उत्पन्न हो रही है।

भारतीय संविधान की धारा–243(T)(4) में महापौर/अध्यक्ष पद के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं के सीटों को आरक्षित किये जाने के लिए विधि बनाने हेतु राज्य विधान मंडल को शक्ति प्रदान की गई है।

अतएव, उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में महापौर/अध्यक्ष पद के लिए अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़ें वर्गों हेतु आरक्षित पदों के आवंटन के निमित्त झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा–27 (2) में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है।

तदनुसार उपरोक्त अधिनियम में आवश्यक संशोधन का प्रावधान किया गया है, जिसे प्रख्यापित करना इस विधेयक का अभीष्ट है।

(हेमन्त सोरेन)
भार साधक–सदस्य

झा०रा०मु०राँची (विधि) 19(A)--200--17-12-2022 ।